

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 1970/अग्राहायण 20, 1892
No, 204] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1970, AGRAHAYANA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th December 1970

SUBJECT.—Advertisements to be made by importers of Capital goods, etc.—Notice to indigenous manufacturers.

No. 180-ITC(PN)/70.—Attention is invited to paragraph 137 of the Import Trade Control—Hand Book of Rules and Procedure, 1970 according to which the importers whose import requirements of capital goods or machine tools etc. exceed Rs. 7.5 lakhs in value are to advertise their requirements in the Indian Trade Journal issued by the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, I, Council House Street, Calcutta-1 so that the indigenous manufacturers have an opportunity of offering to supply the goods in question.

2. On a review of the position, it has now been decided that the importers can advertise their requirements either in the Indian Trade Journal or in the Indian Export Service Bulletin, a weekly publication brought out by the Director, Commercial Publicity, Ministry of Foreign Trade, New Delhi.

3. The provision in paragraph 137(3) of the Import Trade Control, Hand Book of Rules & Procedure, 1970 may be deemed to have been amended to read as under:—

"(3) The advertisements should be published either in the Indian Trade Journal issued by the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the Indian Export Service Bulletin, issued by the Director, Commercial Publicity, Ministry of Foreign Trade, Udyog Bhavan, New Delhi. The advertisements in question, appearing in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, will be serially numbered. If the applicant so desires, he can also have it published in any other newspaper or journal but not in lieu of the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin."

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सामंजस सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर 1970

विषय :—पूँजीगत माल इत्यादि के आयातकों द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन—देशी निर्माण कर्त्ताओं के लिए सूचना

सं० 180 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.— आयात-व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैड बुक 1970 की कंडिका 137 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वे आयातक जिनकी पूँजीगत माल अथवा मशीन मशीनों की आवश्यकताएं 7.5 लाख रुपये मूल्य से अधिक होती है तो उन्हें चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं को वाणिज्य खुफिया तथा सांख्यिकी महानिदेशालय 1 कौंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता—1 द्वारा जारी किए गए भारतीय व्यापार जर्नल में विज्ञापन कराएं ताकि देशी निर्माणकर्त्ताओं को अपेक्षित माल के संभरण के लिए अवसर प्राप्त हो सके।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर अब यह निश्चय किया गया है कि आयातक अपनी आवश्यकताओं को या तो भारतीय व्यापार जर्नल अथवा विदेश व्यापार मन्त्रालय के वाणिज्य प्रचार निदेशक, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन जो एक साप्ताहिक प्रकाशन है, में विज्ञापन दे सकते हैं।

3. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैड बुक 1970 की कंडिका 137(3) में निहित व्यवस्था को संशोधित कर निम्नप्रकार पढ़ा जायः—

"(3) विज्ञापन या तो वाणिज्य खुफिया सांख्यिकी महानिदेशालय 1 कौंसिल हाउस (कलकत्ता-1 द्वारा जारी किए गए भारतीय व्यापार जर्नल अथवा विदेश व्यापार मन्त्रालय के वाणिज्य प्रकाशन निदेशक उद्योग भवन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन में प्रकाशित करवाने चाहिए। भारतीय व्यापार जर्नल अथवा भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन में जाने वाले अपेक्षित विज्ञापन क्रमानुसार सांख्यिकीय किए जाएंगे। यदि आवेदक चाहे तो वह इसे अन्य किसी समाचार पत्र अथवा जर्नल में भी प्रकाशित करवा सकता है किन्तु यह भारतीय व्यापार जर्नल अथवा भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन के बदले में नहीं होगा।"

आर० जे० रबैली,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।